न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
19/2025	01.05.2025	15.05.2025

चम्पाराम पुत्र कलुवा, मीना निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

1. बदरी पुत्र गोपी, मीना निवासी भालपुर नवाजीपुरा, तह0 वजीरपुर
2. राधेश्याम पुत्र गोपी, मीना निवासी भालपुर नवाजीपुरा, तह0 वजीरपुर
3. रामसिंह पुत्र गोपी, मीना निवासी भालपुर नवाजीपुरा, तह0 वजीरपुर
4. प्रेमसिंह पुत्र गोपी, मीना निवासी भालपुर नवाजीपुरा, तह0 वजीरपुर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री गोपाल लाल शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0न0 827 रकबा 0.30 है0, ख0न0 828 रकबा 0.43 है0 ग्राम भालपुर तह0 वजीरपुर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। प्रार्थी ने अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उक्त दोनो खसरा नम्बर को अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ 1994 मे रहन रख दिया तथा रहन के बाबत लिखापढी स्टाम्प पर कर दी। प्रार्थी ने स्टाम्प विक्रेता को बता दिया था प्रार्थी अपनी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ रहन रख रहा है। जिसकी लिखापढी हेतु स्टाम्प की आवश्कयता है। स्टाम्प खरीदने के बाद उस पर लिखापढी अप्रार्थी संख्या 1 बदरी ने अपने पहचान के व्यक्ति से करवायी गई तथा प्रार्थी से कहा गया कि तुम्हारी भूमि बदरी के यहॉ रहन होने की बात की गई है जब भी रहन की राशि अदा कर दोगे, उसी समय भूमि पर तुम्हे पुनः कब्जा संभला दिया जावेगा। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ रहन रखी गई भूमि से अप्रार्थीगण लगातार काश्त कर फसल प्राप्त करते रहे है। दिनांक 8.11.2024 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि तुम्हारे उधार दिये गये पैसे वापिस लेकर मेरी भूमि मुझे वापिस संभला दो। इस पर अप्रार्थी ने कहा कि मैने भूमि पर फसल काश्त कर रखी है उसके कटने के बाद भूमि खाली होने पर तुम्हे वापिस संभला दूंगा। फसल कट जाने के बाद दिनांक 10.03. 2025 को प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि पर से कब्जा हटाने व अपने पैसे लेने को कहा तो अप्रार्थी आनाकानी करने लगा। दिनांक 15.04.2025 को प्रार्थी पुनः अप्रार्थी संख्या 1 से मिला और अपने पैसे वापिस लेने व भूमि पर कब्जा प्रार्थी को वापिस देने की लिखापढी करने को कहा तो अप्रार्थी संख्या1 नाराज हो गया तथा उसने कहा कि तुम्हे कोई भूमि वापिस नही दूगां। इस प्रकार अप्रार्थी ने भूमि से कब्जा हटाने से इंकार कर दिया। काननून भी भूमि रहन मुक्त हो चुकी है क्योकि रहन के पॉच साल बाद भूमि स्वतः ही रहन से मुक्त

हो जाती है। दिनांक 18.4.2025 को अप्रार्थीगण ने उक्त विवादित भूमि पर निर्माण हेतु पट्टिया डालना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी ने जब भूमि मे पट्टी डालने से मना किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने लगे एवं धमकी दी कि वे भूमि को खाली नही करेगें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0न0 827 रकबा 0.30 है0, ख0न0 828 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम भालपुर तह0 वजीरपुर मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे, न ही कोई पत्थर, पट्टिया व अन्य निर्माण सामग्री डालें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बडौदा शाखा खंडीप मे 2010 से रहन रखी हुई है तथा प्रार्थी का नाम रिकॉर्ड जमाबंदी मे केवल नाममात्र का है। प्रार्थी ने उक्त भूमि दिनांक 29.6.1994 को बदरी पुत्र गोपी मीना निवासी भालपुर नवाजीपुरा को रूपये दो लाख एक रूपये मे विक्रय कर दी और मौके पर कब्जा संभला दिया तभी से बहैसियत मालिक अप्रार्थी बदरी व उसका परिवार उस भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा भूमि रहन रखने की बात कपोल कल्पित व आधारहीन है। वास्तव मे प्रार्थी ने भूमि को अप्रार्थी बदरी को पूर्ण रूप से विक्रय कर दिया था और कब्जा संभला दिया था तथा अप्रार्थीगण बहैसियत मालिक भूमि पर काबिज चले आ रहे है। जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी ने अप्रार्थी बदरी को स्टाम्प पर विक्रय कर दी थी और विक्रय राशि प्राप्त कर भूमि पर कब्जा संभला दिया था। प्रार्थी ने यह भी लिखा था कि अप्रार्थी बदरी जब भी रजिस्ट्री करवाने के लिए कहेगा, उसी समय रजिस्ट्री करवा दूगा। अप्रार्थी बदरी ने प्रार्थी चम्पाराम से कई बार भूमि की रजिस्ट्री करवाने को कहा लेकिन वह टामलटोल कर जाता। प्रार्थी के परिवार मे रामनिवास पुत्र चम्पाराम रेल्वे मे टेक्नीशीयन छत्तीसगढ दुर्ग मे है, बत्तीलाल पुत्र चम्पाराम नार्थ ईस्ट रेल्वे मे कम्पाउन्डर ईज्जतनगर मे है। प्यारेलाल पुत्र चम्पाराम एसबीआई मे लोन इंसपेक्टर है एवं मैनका पत्नी प्यारेलाल पटवारी के पद पर टोडाभीम मे तैनात है। इन्होनें प्रार्थी को बेईमानी करने को उकसाया है। इनके उकसाने पर चम्पाराम के मन मे बेईमानी आ गई है एवं विक्रय की गई भूमि से पुनः रूपये प्राप्त करने की नीयत से प्रार्थी ने बैंक आफ बडौदा खंडीप से सन 2010 मे ऋण प्राप्त कर लिया जबकि उस समय भूमि पर बदरी का कब्जा था तथा आज भी है। तथ्यो ने छिपाकर प्रार्थी ने बैंक से ऋण प्राप्त किया है। जिससे अप्रार्थी को भारी हानि हुई है। बैंक कथित भूमि को कभी भी कुर्क कर सकती है। दिनांक 17.4.2025 को चम्पाराम ने अप्रार्थी बदरी को धमकी दी कि खेत पर मत जाना तुझे मार दूंगा। इसकी रिपोर्ट जरिए रजिस्ट्री अप्रार्थी बदरी ने दिनांक 28.4.2025 को पुलिस अधीक्षक

सवाई माधोपुर को प्रेषित कर दी थी। इस रिपोर्ट से व्यथित होकर प्रार्थी चम्पाराम व उसके लडके बत्तीलाल, बत्तीराम, प्यारेलाल, मैनका, सोमराज, शंकरबाई, गुड्डी दिनांक 2.5.2025 को वादग्रस्त भूमि पर आ गये और अप्रार्थी बदरी से गाली गलौच करने लगे तथा जान से मारने की धमकी दी। अप्रार्थी संख्या 1 पिछले 31 वर्षो से फसल काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी ने इसमे सिंचाई के लिए पाईपलाईन बिछा रखी है। दिनांक 2.5.2025 को अप्रार्थीगण को धमकी दी कि खेत खाली कर चले जाओं नही तो रूपये भी नही देगे, जमीन भी नही देगें और गुण्डो से हाथ पैर भी तुडवा देगें। दिनांक 17.4.2025 को चम्पाराम अप्रार्थी बदरी को धमकी दी कि जमीन से तेरा कोई लेना देना नही है तथा रजिस्ट्री करवाने से भी साफ मना कर दिया। अप्रार्थी बदरी ने अपने वकील के जरिए दिनांक 21.4.2025 को एक रजिस्टर्ड नोटिस चम्पाराम को भिजवाया जो उसे प्राप्त हो गया है। उक्त सारी घटनाओ से व्यथित होकर चम्पाराम प्रार्थी ने यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 48 ग्राम भालपुर प्रस्तुत की हैं।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने रूपये 10 के स्टाम्प पेपर पर लिखी गई मूल लिखावट दिनांक 29.6.1994 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिसे प्रार्थी ने 1994 मे अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ रहन रखा था। रहन वापिसी के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा तो उन्होने भूमि से कब्जा हटाने से मना कर दिया एवं भूमि पर निर्माण करने हेतु निर्माण सामग्री डाल दी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि मे कोई निर्माण कार्य नही करें।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी ने 29.6.1994 को विवादित आराजीयात अप्रार्थी को विक्रय कर भूमि पर कब्जा संभला दिया था एवं 10 रूपये के स्टाम्प पर इसकी लिखापढी भी कर दी थी। इस विक्रय के पश्चात से ही वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी बदरी व उसके परिवारजन का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के परिवारजन विभिन्न राजकीय सेवाओं मे है एवं तहसील मे भी है। इसलिए प्रार्थी ने षडयंत्र पूर्वक भूमि पर कब्जा नही होते हुए बैंक से लोन ले लिया। जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी से भूमि की रजिस्ट्री अप्रार्थी बदरी के नाम कराने को कहा तो प्रार्थी ने गलत वाक्यात के आधार पर यह दावा व टीआई इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त

नही है एवं कब्जे के अभाव में प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु तीन बिन्दुओं पहला प्रथम दृष्टया केस, दूसरा अपूर्णीय क्षति एवं तीसरा सुविधा के संतुलन के संबंध में ध्यान पूर्वक विचार किया।

प्रथम दृष्टया केसः—

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संबत 2074—77 खाता संख्या 48 ग्राम भालपुर के खसरा अनुसार वादग्रस्त प्रार्थी चम्पाराम की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के साथ 10 रूपये के स्आम्प पर जो मूल लिखावट प्रस्तुत की है। यह अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्पड है तथा इसमें भूमि का खसरा नम्बर बाद में दर्ज किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेज वर्तमान स्थिति में विश्वसनीय नही है। इसके विपरीत प्रार्थी भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिये प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः—

चूंकि प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः यदि प्रार्थी को वाछित अनुतोष प्रदान नही किया जाता है तथा प्रार्थी की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो उसे असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

इस प्रकार प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

—:आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.43 है0 ग्राम भालपुर तह0 वजीरपुर में किसी प्रकार का कोई निमार्ण कार्य नही करने तथा उपरोक्त भूमि में कोई पत्थर पट्टिया व अन्य निर्माण सामग्री नही डालने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिय अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर